	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज (3)	**नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए**
1/9/21	पत्रावली पेश। वकील पक्षकारान द्वारा प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 (क) जा0दी0 पर बहस के दौरान प्रस्तुत तर्को पर मनन किया गया। वकील प्रतिवादी ने दौराने बहस कथन किया कि विवादित भूमि के प्रताप जी मूल पुरूष थे उनके 3 बेटे थे। उनके पुत्र हरलाल के 2 लडकियां थी। हरलाल ने प्रतिवादी संखया 1 शीशपाल को गोद लिया था जिस समय बक्शीश करवाई गई उस समय नैसर्गिक पिता लक्ष्मण व गवाह साथ थे। वादी दुर्गा व काली ने मेरे पक्ष में स्वैच्छा से बक्शीश कर दी। मैं तब से कब्जे में हूँ। इन्होने दिनांक 13.05.2019 को बक्शीश की थी। इनकों बक्शीशनामें को निरस्त करवाना चाहिये था। बिना उस बक्शीशनामें को निरस्त करवाये यह वाद यहां चलने योग्य नही है। इन्होने वाद कारण मनगडन्त तथ्यों पर बनाया है जो खारिज योग्य है। वकील प्रतिवादी के उक्त तथ्यों का खण्डन करते हुये वकील वादीगण ने कथन किया कि मेरा दावा बंटवारे व स्थायी निषेधाज्ञा का है। जमाबंदी में वादीगण का 1/3 हिस्सा दर्ज है। हमने अधिकार घोषणा नही मांगी है। विवादित भूमियों का बंटवारा करवाने में इनको क्या आपत्ति है। मैं मेरी जमीन का बंटवारा करवाने आया हूँ। मेरे आने का पर्याप्त वाद कारण है। हम बंटवारा करवाने के अधिकारी है। इनका प्रार्थना पत्र मय खर्चा खारिज फरमाया जावें। वकील वादीगण के उक्त तथ्यों का खण्डन करते हुये वकील प्रतिवादी ने कथन किया कि यह बंटवारा किस बात का करवाना चाहते है। इन्होने तो इनका अधिकार त्याग दिया है। यह दावा मिथ्या तथ्यों के आधार पर पेश किया गया है। हमारा प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर वादीगण का वाद पत्र खारिज किया जावें। प्रकरण में वकील पक्षकारान द्वारा प्रस्तुत तर्को पर मनन कर पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रकरण में वादीगण विवादित भूमियों में रिर्कोडेड सहखातेदार है। वादीगण द्वारा अपने खाते व हिस्से की भूमि को दिनांक 13. 05.2019 को जर्ये रजिस्टर्ड बक्शीशनामें के प्रतिवादी संख्या 1 शीशपाल को बक्शीश कर दी गई। वादीगण द्वारा अपने अधिकारो का त्याग कर देने के बाद भी उक्त तथ्य को छुपाकर मिथ्या तथ्यों के आधार पर न्यायालय में उक्त वाद बंटवारे बाबत पेश किया है। वादीगण द्वारा पूर्व में किये गये रजिस्टर्ड बक्शीशनामें को निरस्त करवाये बिना इस न्यायालय से किसी प्रकार की राहत प्राप्त करने के	

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डोली (बून्दी)

तारीख हुक्म	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
	अधिकारी नही है। प्रकरण में उपरोक्त तथ्यों से प्रार्थना पत्र प्रतिवादी संख्या 1 व 2 अन्तर्गत धारा आदेश 7 नियम 11 जा0दी0 स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाकर वाद वादीगण खारिज किया जाता है। पत्रावली फेसल शुमार की जाकर बाद तकमील नम्बर से कम होकर दाखिल दफतर हो। निर्णय सरे इजलास सुनाया गया।
	उपखण्ड अधिकारी हिण्डोली (बून्दी)